राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(3)ग्रावि/नरेगा/ब.घोषणा/2010 पार्ट–2/76177 जयपुर, दिनांक 19 FEB 2018

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम
समस्त, राजस्थान ।

विषय :– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की पालना के संबंध में।

प्रसग :– विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 21.03.16, 02.08.16, 07.09.16, 22.03. 2017 एवं 14.12.2017 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत संविदा पर कार्यरत कार्मिकों को श्रम विभाग द्वारा जारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुरूप पारिश्रमिक/मानदेय का भुगतान सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देश दिये गये थे। उक्त निर्देशों के क्रम में निवेदन है कि संविदा पर कार्यरत सहायक अकुशल प्रकृति का कार्य सम्पादित कर रहा है तथा श्रम विभाग की अधिसूचनानुसार 2 वर्ष कार्य करने के बाद ऐसे समस्त अकुशल कामगार अर्द्धकुशल कामगार के समक्ष दरों से मजदूरी पाने के अधिकारी होगे। ऐसे संविदा पर कार्यरत सहायक को अर्द्धकुशल मानते हुए श्रम विभाग द्वारा समय–समय पर संशोधित दरों के अनुसार भुगतान किया जाना है।

भवदीय

(शाहीन अली खान)
अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम) ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त, राजस्थान।
2. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम) ईजीएस

Scanned by CamScanner